डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय : मंत्री महोदय ने बताया है कि कोडीन फ़ास्फ़ेट तथा कुछ अन्य औषधियों के मूल्य बढ़ाने की सिफ़ारिश की गई है । आम लोगों की तरफ़ से यह मांग की जा रही है कि लाइफ सेविंग ड्रग्ज, बल्क ड्रग्ज, टेट्रासाइक्लीन, कोडीन फास्फेट और क्लोरेमफ़ेनिकाल आदि रोज-मर्रा काम आने वाली दवाओं के मूल्य कम किये जायें । क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंग कि सरकार इन औषधियों के मूल्य कम करेगी, तथा निकट भविष्य में इनके मूल्य और बढ़ने की सम्भावना तो नहीं है ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : इन 352 पैक्स का दाम सरकार ने कम किया है । फ़ार्मुलेशन्ज तो एक हजार है, लेकिन सरकार को उनके बारे में फ़िक्र है, जो ज़रूरी है । हमें हाजमे की दवाई वग़ैरह गोलियों की फ़िक्र नहीं है । हमें लाइफ़-सेविंग ड्रग्ज की फ़िक्र है । मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार ने 352 पैक्स के दाम कम किये हैं । जहां तक और दाम कम करने का सवाल है, मैं कोई आश्वासन तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर किसी वक्त कोई ऐसा कारण दिखाई पड़ेगा कि दवाओं के दाम और भी कम हो सकते हैं, तो सरकार द्वारा उस पर सतकता से निर्णय लिया जायेगा ।

डा. बलदेव प्रकाश : बल्क प्राइसिज और फ़ार्मुलेशन प्राइसिज में जो भारी फ़र्क है, वह कारण है कि कम्पनियां इस पैकिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा दिखाती हैं—पैकिंग, एडवरटाइजमेंट और सैम्पलिंग पर बहुत ज्यादा खर्चा दिखाया जाता है । अगर बल्क प्राइस मामूली सी बढ़ती है, तो रीटेल प्राइस डबल से भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिस का कनज्यूमर पर भारी असर पड़ता है । एनक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उसमें पैकिंग चार्जिज और दूसरे खर्चे शामिल किये गये हैं । क्या सरकार इस बारे में गंभीरता से विचार करेगी और कीमतें नीचे लाने की कोशिश करेगी ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत वाजिब प्रश्न है । 29 मार्च, 1978 को इस सदन में हाथी कमेटी की सिफारिशों पर अपना फैसला रखते हुए सरकार ने निर्णय लिया है कि ऐडवरटाइजमेंट और पैकिंग के दाम जहां बेतहाशा हैं उन का स्टैंडर्ड हम तय करेंगे और उसी हद तक पैसा मिलेगा । बाकी मिलने वाला नहीं है । अभी तो इन कम्पनियां घड़ी देना शुरू कर रही हैं, डाक्टरों को अपनी दवाइयां बढ़ाने के लिए । इस तरह का फालतू खर्च हम मंजूर करने को तैयार नहीं हैं ।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Government proposal to bear election expenses

*108. SHRI AMAR RAYPRADHAN:

Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government propose to bear the election expenses of political parties; and

(b) if so, what are the outlines in this regard and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). The question whether the election expenses of political parties and candidates in elections to Parliament and State Legislatures should be borne by the State, and if so to what extent, and in what manner, is under the active consideration of the Government.

Import of Sulphur

*110. SHRI SAMAR MUKHERJEE:

SHRI C. R. MAHATA:

Will the Minister of PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether Government propose to import sulphur, if so, the target during 1979;

(b) whether the fertilizer industry had carried out a review of the stock position regarding sulphur;

(c) if not, the basis of fixing the target of import; and

(d) if so, the details thereof?